न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 42 / 2017(2017 / 00190)

तारीख दायरा—15.06.2017

तारीख निर्णय—04.12.2019

1. श्री मोहनलाल पिता हरिराम जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती धुलीबाई बेवा स्व0 पृथ्वीराज ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।
2. श्री अम्बालाल पिता स्व0 पृथ्वीराज ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।
3. श्री भुरीलाल पिता स्व0 पृथ्वीराज ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।
4. श्री हरिशंकर पिता स्व0 पृथ्वीराज ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।
5. श्री भंवरलाल पिता स्व0 चुन्नीलाल ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।
6. श्री गोपीलाल पिता स्व0 चुन्नीलाल ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।
7. श्री खमाणीलाल पिता स्व0 चुन्नीलाल ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।
8. चम्पा पुत्री स्व0 चुन्नीलाल ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।
9. किषनाबाई पुत्री स्व0 चुन्नीलाल ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।

10. दाखुबाई पुत्री स्व0 चुन्नीलाल ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।

11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री कुशाल सिहं राणावत
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा काछबा पटवार हल्का काछबा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 356 में वर्णित कुल आराजीयात 5 रकबा 0.2850 एवं खाता संख्या 217 के आराजी नम्बर 2615/56 रकबा 0.0600 हैव भुमि स्थित है। उपरोक्त आराजियात भूमि पर पुर्णतया वादी के स्वामीत्व एवं आधीपत्य में होकर वादी सदीप से कृषि कार्य कर उपभोग कर रहा है।उक्त भूमि वादी के पिता स्व0 हरिराम पिता जोतरात जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पति स्व0 पृथ्वीराज , प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता स्व0 पृथ्वीराज एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के दादा स्व0 पृथ्वीराज पिता चतुर्भज से दिनांक 27.02.1975 को नकद 1500/– अक्षरे पन्द्रह सौ रूपये में क्रंय की तब से वादी का स्वामित्व एवं हक अधिकारी में चला आ रहा है। वाग्रस्त भूमि जरिये बिकाव से वादी के पिता द्वारा दिनांक 27.02. 1975 को क्रय के बाद भूमी का नामान्तरण वादी के पिता के नाम पर जरिये नामान्तरण संख्या 409 दिनांक 01.10.1976 से दर्ज हो अमलदरामद हो वादी के पिता के नाम पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए एवं उसके बाद नामान्तरण संख्या 414 से विरासत से वादी के नाम दर्ज हुई। परन्तु सेवन से साबिक आराजी नम्बर 47मी. जिसके हाल आराजी नम्बर 2615/56 रकबा 0.0600 है0 भूमी जो की सम्पूर्ण भूमी वादी के पिता द्वारा क्रय की थी जो बाद पैमाईश वादी के राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम से पुनः प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो गई है जिस पर वादी का हक हिस्सा है जिससे उक्त आराजीयात भूमि की धोषणा वादी के पक्ष में की जावे एवं राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी को साबिक आराजी नम्बर 47मी. जिसके हाल आराजी नम्बर 2615/56 रकबा 0.0600 है0 भूमी का खातेदार काश्तकार धोषित करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से

प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। एक तरफा कार्यवाही के आदेश होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की साक्ष्य में श्री मोहनलाल के बयान कलमबद्व किये गये। वादी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में वहीं बात बताई जो वाद पत्र में अकिंत है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। सेवन से साबिक आराजी नम्बर 47मी. जिसके हाल आराजी नम्बर 2615/56 रकबा 0.0600 है0 भूमी जो की सम्पूर्ण भूमी वादी के पिता द्वारा क्रय की थी जो बाद पैमाईश वादी के राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम से पुनः प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो गई है जिस पर वादी का हक हिस्सा है जिससे उक्त आराजीयात भूमि की धोषणा वादी के पक्ष किया जाना उचित प्रतित होता है। वादी अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा काछबा पटवार हल्का काछबा के साबिक आराजी 47मी. हाल आराजी नम्बर 2615/56 रकबा 0.0600 है भूमि में वादी श्री मोहनलाल पिता हरिराम ब्राम्हण के नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड़ अधिकारी
गोगुन्दा–उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः— जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—42 / 2017

वादी पक्ष

1. श्री मोहनलाल पिता हरिराम जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर

2. प्रतिवादी पक्ष

3. श्रीमती धुलीबाई बेवा स्व0 पृथ्वीराज ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी काछबा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।

अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री कुशाल सिह राणावत

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 04.12.2019 को प्रस्तुत होने पर वादी का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा मौजा काछबा पटवार हल्का काछबा के साबिक आराजी 47मी. हाल आराजी नम्बर 2615 / 56 रकबा 0.0600 है भूमि में वादी श्री मोहनलाल पिता हरिराम ब्राम्हण के नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड़ अधिकारी
गोगुन्दा—उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2020.01.03 12:34:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: